राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 922/2009/श्रीगंगानगर

मैसर्स दी इण्ड्योर प्रा.लि.
साईट आफिस सूरतगढ थर्मल पावर,स्टेशन,सूरतगढ — अपीलार्थी

बनाम

प्रभारी, वाणिज्यिक कर जांच चौकी
रतनपुरा चौराहा वृत हनुमानगढ — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक — प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 29.09.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर(जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा 160/आरवेट/श्रीगंगानगर/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड,गाजियाबाद सेक स्टील प्लेट्स सूरतगढ के लिए वाहन संख्या एच आर–55एफ 2265 द्वारा आयात किया गया था। राजस्थान राज्य की प्रवेश जांच चौकी रतनपुरा चौराहा पर प्रभारी, वाणिज्यिक कर जांच चौकी, रतनपुरा चौराहा वृत हनुमानगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उक्त आयातित माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 1780578 प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषाण पत्र वैट–47 संख्या 1780578 पंच किया हुआ नहीं है,इसलिए उसे अपूर्ण मानते हुए अपीलार्थी को नोटिस जारी किया । नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अमान्य करते हुए उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3,15,512/– आरोपित कर दी। उक्त आरोपित शास्ति से व्यथित होकर अपीपलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अपीलीय अधिकारी ने उक्त अपील का दिनांक 30.01.2009 को निस्तारण करते हुए आरोपित शास्ति को यथावत रखा है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयातित माल को चेक करने पर आयातित माल से सम्बन्धित वांछित

सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे,जिनमें माल भेजने व पाने का पूर्ण विवरण अंकित था। उनका कथन है कि वैट—47 पूर्ण रूप से भरा हुआ है मात्र पंच करना गलती से रह गया है, जिसे अपूर्ण मानकर शास्ति आरोपित करना किसी भी प्रकार से विधिक नहीं है, क्योंकि वैट—47 की संख्या किरण रोडवेज प्रा.लि. की बिल्टी की छाया प्रति पत्रावली के पेज 5 पर उपलब्ध है, जिस पर माल के साथ पाये गये घोषणा पत्र वैट 47 संख्या 1780578 का अंकन किया हुआ है तथा अपीलार्थी दी इण्ड्योर प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा जारी डिस्पैच इन्सट्रक्शन्स फार सिविल वर्क नम्बर 1—3058(पत्रावली के पेज 13 पर उपलब्ध है) में भी वक्त जांच पाये गये घोषणा पत्र वैट—47 संख्या 1780578 का इन्द्राज किया हुआ है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि माल के आयात करने में किसी भी प्रकार की दोषी मानसिकता नहीं थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने मनमाने ढंग से प्रकरण के तथ्यों को अस्वीकार कर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रू.3,51,512/—आरोपित की है,जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि उक्त आरोपित शास्ति के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने तथ्यों पर ध्यान दिये बिना आरोपित शास्ति की पुष्टि करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2009 पारित कर अपील अस्वीकार कर दी। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाल दिया। उन्होंने उक्त कथन के आधार कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे नियम कहा जायेगा) के नियम 53(1) के अनुसार घोषणा पत्र प्रपत्र वैट—47 को पूर्ण रूप से भरे जाने तथा उसे पंच करने किये जाने का प्रावधान है । उनका कथन है कि वक्त चेकिंग प्रस्तुत किये गये वैट—47 संख्या 1780578 के पार्ट—बी के कॉलम संख्या एक से तीन तक ओवर राईटिंग की गयी है तथा वैट—47 को पंच नहीं किया गया है,जिससे करापवंचन की दोषी मानसिकता प्रमाणित होती है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का अपीलाधीन आदेश में विश्लेषण करते हुए उसकी अपील अस्वीकार की है,जो उचित है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उद्धृत किये गये निर्णयों का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वैट—47 संख्या 1780578 पाया गया है, जो पंच किया हुआ नहीं था, इसलिए उसे अपूर्ण मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के

अन्तर्गत शास्ति रू. 3,15,512/ आरोपित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2009 को पारित कर उसे यथावत रखा है ।

हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वक्त चेकिंग माल के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 1780578 था, जिसकी छाया प्रति पत्रावली के पेज 9 पर उपलब्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि किरण रोडवेज प्रा.लि. की बिल्टी की छाया प्रति पत्रावली के पेज 5 पर उपलब्ध है, जिस पर माल के साथ पाये गये घोषणा पत्र वैट 47 संख्या 1780578 का अंकन किया हुआ है तथा अपीलार्थी दी इण्ड्योर प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा जारी डिस्पैच इन्सट्रक्शन्स फार सिविल वर्क नम्बर 1–3058(पत्रावली के पेज 13 पर उपलब्ध है) में भी वक्त जांच पाये गये घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 1780578 का इन्द्राज किया हुआ है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मात्र घोषणा पत्र वैट–47 पंच नहीं होने से उसे अपूर्ण मानना विधिक नहीं है, क्योंकि यदि करापवंचन की दोषी मानसिकता होती है तो घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 1780578 का इन्द्राज नहीं किया जाता। उक्त तथ्य होते हुए माल परिवहन में अपीलार्थी की कोई दोषी मानसिकता नजर नहीं आती है। उक्तानुसार वक्त जांच परिवहनित माल के साथ पाया गया घोषणा पत्र अपूर्ण घोषणा श्रेणी में नही माना जा सकता है, यह मात्र तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य